पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग

मांग संख्या 23

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग

क. वसूलियों को घटाकर बजट आबंटन और राजस्व वसूलियां नीचे दी गई है;

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		205.86	4.60	210.46	218.92	4.19	223.11	366.73	7.11	373.84
पूंजी		*244.66*	*0.75*	*245.41*	*231.50*	*1.96*	*233.46*	*103.17*	*1.50*	*104.67*
जोड़		**450.52**	**5.35**	**455.87**	**450.42**	**6.15**	**456.57**	**469.90**	**8.61**	**478.51**
1. सचिवालय सेवाएं										
1.1 सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	...	...	...	...	...	...	...	2.35	2.35
1.2 पूर्वोत्तर परिषद का सचिवालय	2070	...	4.00	4.00	...	3.89	3.89	...	4.75	4.75
	जोड़	*...*	*4.00*	*4.00*	*...*	*3.89*	*3.89*	*...*	*7.10*	*7.10*
2. पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं	2552	64.76	...	64.76	77.34	...	77.34	115.81	...	115.81
	3601	141.10	...	141.10	141.58	...	141.58	231.52	...	231.52
	7601	12.21	...	12.21	13.90	...	13.90	23.97	...	23.97
	जोड़	218.07	...	218.07	232.82	...	232.82	371.30	...	371.30
3. आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण/सुधार	4552	60.00	...	60.00	55.00	...	55.00	25.00	...	25.00
4. भारतीय विद्युत ग्रिड निगम लि.	4552	...	...	...	6.25	...	6.25	...	...	...
	6552	35.00	...	35.00	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*35.00*	*...*	*35.00*	*6.25*	*...*	*6.25*	*...*	*...*	*...*
5. पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम लि.	4552	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	6552	94.17	...	94.17	112.20	...	112.20	...	...	...
	जोड़	94.17	...	94.17	112.20	...	112.20	...	...	...
6. सार्वजनिक उद्यमों में निवेश	4853	0.42	...	0.42	0.42	...	0.42	0.50	...	0.50
	4860	0.10	...	0.10	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*0.52*	*...*	*0.52*	*0.42*	*...*	*0.42*	*0.50*	*...*	*0.50*
7. नेरामाक में वीआरएस के कार्यान्वयन हेतु अनुदान	2852	...	0.60	0.60	...	0.30	0.30	...	0.01	0.01
8. पूर्वोत्तर हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम को आयोजना-भिन्नऋण	6851	...	0.75	0.75	...	1.96	1.96	...	1.50	1.50
9. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड को अनुदान	2885	...	...	...	...	...	...	15.40	...	15.40
10. प्रचार और विज्ञापन	2250	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
11. तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण	2250	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
12. अन्य कार्य-क्रम	4552	42.76	...	42.76	43.73	...	43.73	53.70	...	53.70
	6552	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*42.76*	*...*	*42.76*	*43.73*	*...*	*43.73*	*53.70*	*...*	*53.70*
कुल जोड़		***450.52***	***5.35***	***455.87***	***450.42***	***6.15***	***456.57***	***469.90***	***8.61***	***478.51***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. सिक्किम खनन निगम लि0	12853	0.42	...	0.42	0.42	...	0.42	0.50	0.82	1.32
2. **पूर्वोत्तर** क्षेत्रीय कृषीय विपणन निगम लि.(एन.ई.आर.ए.एम.ए.सी.)	12860	0.10	...	0.10	...	...	...	...	...	...
जोड़		**0.52**	**...**	**0.52**	**0.42**	**...**	**0.42**	**0.50**	**0.82**	**1.32**
ग. योजना परिव्यय										
1. लौह भिन्न खनन	12853	0.42	...	0.42	0.42	...	0.42	0.50	0.82	1.32
एवं धातु उद्योग	12885	...	...	...	...	...	...	15.40	...	15.40
2. औद्योगिक वित्तीय संस्थायें	22250	0.10	...	0.10	...	...	...	4.00	...	4.00
3. अन्य सामाजिक सेवाएं	*जोड़*	*0.52*	*...*	*0.52*	*0.42*	*...*	*0.42*	*19.90*	*0.82*	*20.72*
राज्य योजनाएं										
1. पूर्वोत्तर क्षेत्र	43601	450.00	...	450.00	450.00	...	450.00	450.00	...	450.00
	जोड़	*450.52*	*...*	*450.52*	*450.42*	*...*	*450.42*	*469.90*	*0.82*	*470.72*

1. 1.1 यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग के सचिवालय सामान्य सेवाओं के व्यय के लिए है।

1.2 यह प्रावधान पूर्वोत्तर परिषद के सचिवालय के व्यय के लिए है।

2. **पूर्वोत्तर परिषद** - पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम,1971 के अंतर्गत की गई थी। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के सात राज्यों का एकीकृत आर्थिक विकास सुनिश्चित करना था। परिषद का मुख्यालय शिलांग में है। परिषद के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र का संतुलित विकास करना शामिल है। परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए सम्मिलित महत्व के मामलों के संबंध में एक एकीकृत एवं समन्वित क्षेत्रीय योजना तैयार करके इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। पूर्वोत्तर परिषद का सचिवालय परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों के निष्पादन में मदद करता है।

पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें-पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमों के लिए वर्ष 2003-03 में 450 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। पूर्वोत्तर परिषद के बजट के माध्यम से विभाग का उद्देश्य अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूरा करने में प्राथमिकता देते हुए क्षेत्रीय महत्व की आधार सुविधा परियोजनाओं को सहायता देना है ताकि इन माध्यस्थ प्रवाहों से लोगों को यथाशीघ्र लाभ मिल सकें।

3. **आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण/सुधार** - यह कार्य सीमा सड़क संगठन के माध्यम से किया जाता है। यह संगठन चालू सड़क स्कीमों को पूरा करने की और भी ध्यान केंन्द्रित करेगा।

6. **सिक्किम खनन निगम**- सिक्किम खनन निगम की स्थापना सिक्किम सरकार और भारत सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में 1960 में की गई थी जिसमें दोनों सरकारों की इक्विटी शेयर पूंजी का अनुपात क्रमश; 51:49 था। निगम का उद्देश्य साफ्ट सिंकिंग, गहरी खुदाई और उपस्कर प्रदान करके भोटांग में अपनी खानों को विकसित करना है। पाचेय खानी खान का भी विकास किया जाएगा।

7. **पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (नेरामक)**- "नेरामक" की स्थापना वर्ष1982 में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के रूप में की गई थी। बीआईएफआर पुनर्वास पैकेज के कार्यान्वयन के अंग के रूप में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के लिए एक सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

8. **पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि**.- इसकी स्थापना 1977 में की थी जिसका मुख्यालय शिलांग में है। गुवाहटी और नई दिल्ली में इसके कार्यालय है और कोलकाता, बंगलौर और चेन्नई में इसके बिक्री केन्द्र है। इस निगम का पुनर्गठन किया जा रहा है ताकि यह जनशक्ति एवं प्रशासनिक लागत के संदर्भ में अपनी भूमिका एवं उत्तरदायित्वों का स्पष्ट रूप से पता लगाकर हस्तशिल्प, हथकरघा और रेशम उद्योग में संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक क्रियाकलाप चला सकें। इस निगम का उद्देश्य वित्तीय एवं पालन-पोषण पारिस्थितिकी अनुकूल तथा वाणिज्यिक रूप से चल सकने योग्य औद्योगिक, अवसंरचना और कृषि बागवानी परियोजनाओं का पता लगाकर, पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए एक गतिशील एवं उत्तरदायी संगठन के रूप में कार्य करना है।

10. **विज्ञापन एवं प्रचार** - इस विभाग का आयोजना बजट गृह मंत्रालय से विज्ञापन एवं प्रचार बजट प्राप्त करता है और"डोनर्स" क्रियाकलापों की जागरूकता एवं पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इसकी आवश्यकता होगी।

11. **तकनीकी सहायता एवं क्षमता निर्माण** - इस क्षेत्र में राज्यों की सांस्थानिक क्षमता अड़चने जो परियोजना तैयार करने, परियोजनाओं की मानीटरिंग एवं मूल्यांकन आदि से संबंधित है, क्षमता निर्माण के लिए बजट प्रावधानों द्वारा दूर होने की आशा है। योजना तैयार करने, भावी योजनाओं, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने, प्रभाव अध्ययन एवं मूल्याकंन रने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी जिससे राज्य सरकार और कार्यान्वयक एजेंसियों को अपना निष्पादन स्तर सुधारने में मदद मिलेगी।

12. **अन्य कार्यक्रम** - पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत अंत; क्षेत्रीय संयोजनता बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर परिषद 50 सीटों वाले विमान की सेवाएं शुरू करने हेतु नागर विमानन मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयत्नों की अनुपूर्ति करेगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्यमान विमान पत्तनों में चल रहे सुधार कार्यों को भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण लि. की सहायता से पूरा एवं प्रचालित किया जाएगा।